हराम माल की ज़कात

हराम माल के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव पांचवे सेमिनार में पास किए गए।

1- किसी के पास कोई पराया माल नाजाइज़ तरीक़े से आए और उसका असल मालिक कहीं मौजूद हो तो उसे वह पूरा माल लौटा देना वाजिब है।

2- अगर हलाल माल में हराम माल शामिल हो जाए और उसकी मूल मात्रा का पता न चल सके तो हराम माल की मात्रा का निर्धारण कल्पना के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ऐसी कल्पना जो दृढ हो, (यानी ग़ालिब गुमान)।

3- अगर किसी पर हराम माल की वापसी वाजिब थी, लेकिन उसने वापिस नहीं किया, और माल पर दावा करनेवाला भी कोई मौजूद नहीं है, तो इस स्थिति में जिसके पास यह माल है उसे इस माल की ज़कात निकालनी होगी। और इसके साथ माल के मालिक को माल लौटाना या उसके न होने पर बिना सवाब की नीयत के उसे सदक़ा कर देना उसपर वाजिब होगा।

हराम माल के सम्बन्ध में यही हुक्म है कि अगर उसका मालिक मौजूद हो तो उसे वापिस कर दिया जाए और मालिक न होने की स्थिति में उसे सदक़ा कर दिया जाए। अगर हराम माल हलाल माल में मिला हुआ हो तो ईमानदारी के साथ अनुमान लगाकर हलाल माल की मात्रा का निर्धारण किया जाए, और केवल उसी की ज़कात निकाली जाए। हराम माल पर ज़कात वाजिब न होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में.ज्यादा बेहतर बात यह है कि पूरे माल की ज़कात निकाल दी जाए। ताकि इस मामले में भरोसा बना रहे और ज़कात निकालने वाला निश्चिंत रूप से ज़कात की ज़िम्मेदारी से बरी हो जाए, और हराम तरीक़ों से माल जमा करनेवालों का प्रोत्साहन न हो, और ऐसा भी न हो कि हराम माल खाने वाला दोनों तरफ़ से फ़ायदा उठाने का प्रयास करे, अर्थात एक तरफ़ वह हराम माल से फ़ायदा उठाए और दूसरी तरफ़ उसकी ज़कात देने से भी बचा रह।

☆☆☆